भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *97
दिनांक 13.12.2022/ 22 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

90वीं इन्टरपोल जनरल असेम्बली

†***97. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):**
श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल (इन्टरनेशनल क्रिमिनल पोलिस ऑर्गनाइजेशन) जनरल असेंबली की मेजबानी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत ने आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों के बीच संबंधों का पता लगाने और नार्को-टेरर, साइबर रेडिकलाइजेशन, संगठित आपराधिक सिंडिकेट और धनशोधन की ओर ध्यान देने के लिए इंटरपोल के एजेंडे को आकार दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जनरल असेंबली ने आतंकवादी और आपराधिक गति विधियों के लिए आधार प्रदान करने वाले अवैध वित्तीय प्रवाह को कम करने और उसे अंततः समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार पर सहयोग के लिए एक संकल्प स्वीकृत किया है;
(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या सदस्य-राज्य ऐसे आतंकवादियों और अपराधियों के मामलों का पता लगाने के लिए, जो न्यायाधिकार क्षेत्रों के आर-पार जाने के लिए नकली यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करते हैं, एसएलटीडी डेटाबेस (यात्रा और पहचान दस्तावेज) सहित इंटरपोल के डेटाबेस तक अपनी-अपनी राष्ट्रीय वित्तिय खुफिया इकाइयों को पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"90वीं इन्टरपोल जनरल असेम्बली" के संबंध में दिनांक 13.12.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *97 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारत सरकार ने नई दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर, 2022 तक 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली की मेजबानी की। इसमें 166 सदस्य देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ख) से (ङ): भारत ने आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों के लिकेंजों के बारे में इंटरपोल के एजेंडे में प्रभावी रूप से योगदान दिया है। 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली के दौरान प्रतिनिधियों के समक्ष इंटरपोल की सबसे पहली "ग्लोबल क्राइम ट्रैंड रिपोर्ट" भी प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिहादी आतंकवाद वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा बना हुआ है। यह भी बताया गया कि आतंकवादी ड्रोन, जीपीएस सिस्टम और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं सहित ज्यादा उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहे हैं। यह नोट किया गया था कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों द्वारा अधिकाधिक सहयोग किए जाने को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली के दौरान, भारत द्वारा नार्को टेरर, साइबर रेडिकलाइजेशन, संगठित आपराधिक सिंडिकेट और धनशोधन सहित आतंकवाद के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया गया था। भारत ने सूचना एवं आसूचना के आदान-प्रदान के लिए मंचों (प्लेटफार्मों), आसूचना-आधारित संयुक्त अभियानों, क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग, पारस्परिक कानूनी सहायता और धनशोधन का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के माध्यम से सहयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ने वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा की जाने वाली सहयोगात्मक कार्रवाई को मजबूत बनाने का संकल्प पारित किया है। संकल्प में एक विशेषज्ञ कार्यकारी समूह का गठन किए जाने की अनुशंसा की गई है, जो वित्तीय सूचनाओं के आदान-प्रदान करने और आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उनकी रिकवरी के लिए विभिन्न समर्पित प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा और साथ ही 'सिल्वर नोटिस' नामक एक नया इंटरपोल नोटिस शुरू करने की सिफारिश करेगा। इस संकल्प में उस अवैध वित्तीय प्रवाह, जिससे आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रमुख सहायता मिलती है, को कम करने और अंततः उसे समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति सरकार का सुदृढ़ दृष्टिकोण पूरी तरह परिलक्षित होता है।

इस संकल्प में सदस्य देशों से यह भी आहवाह्न किया गया है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राष्ट्र के कानून के अनुपालन में, राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाइयों को इंटरपोल के पास उपलब्ध चोरी किए गए और गायब हुए यात्रा दस्तावेजों (एसएलटीडी) और नोमिनल डाटाबेस तक सीधी पहुंच प्रदान करने पर विचार करते हुए संगठित अपराध, वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय और सामूहिक रूप से सहायता प्रदान करें।

तारांकित प्रश्न संख्या *97,दिनांक 13.12.2022

(च): भारत सरकार ने इंटरपोल द्वारा विकसित फिन-लेक्स (विधि प्रवर्तन एक्सचेंज के लिए वित्त) में शामिल होने के लिए सीबीआई को अनुमोदन प्रदान किया है। फिन-लेक्स का उद्देश्य सदस्य देशों को आतंकवाद और इससे संबद्ध अपराधों का पता लगाने, भागीदार एफआईयू द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर कार्रवाई योग्य आसूचना के सृजन और प्रसार के माध्यम से चल रही जांचों को आगे बढ़ाने तथा विभिन्न एफआईयू और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय डाटा के आदान-प्रदान के लिए एक सतत मॉडल विकसित करने में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार के अनुमोदन के बाद सीबीआई इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (आईसीएसई) डाटाबेस में भी शामिल हो गया है।

****